तकनीक से बढ़ेगी किसानों की आमदनी

▶ पराली से सड़क तक बायो-बिटुमेन की ऐतिहासिक पहल : शिवराज

नई दिल्ली, 30 मार्च। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएसआईआर मुख्यालय, अनुसंधान भवन, नई दिल्ली में आयोजित लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास से बायो-बिटुमेन - फार्म रेजिड्यू टू रोड्स विषयक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम में कहा कि पराली से बायो-बिटुमेन बनाकर सड़क निर्माण तक का यह सफ़र सचमुच ऐतिहासिक, शानदार और भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है।

आत्मनिर्भर भारत और आयात पर निर्भरता घटाने की ठोस राह

श्री चौहान ने जोर देकर कहा कि आज की दुनिया में भारत किसी पर निर्भर रहकर नहीं चल सकता, इसलिए आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज रुक जाए, किसका क्या गड़बड़ हो जाए. उन्होंने बताया कि बायो-बिटुमेन के माध्यम से बिटुमेन आयात में कमी आने से देश को लगभग साढ़े चार हज़ार करोड़ रुपये का सीधा लाभ होने की संभावना है, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ठोस आधार देगा. शिवराज सिंह ने कहा कि जब नीति सही, नियत स्पष्ट और नेता नरेंद्र मोदी जी जैसा हो, तब एक कदम से अनेकों समस्याओं के समाधान निकलते चले जाते हैं और वही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई दे रहा है.

फसल उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और नए शोध की दिशा

अपने संबोधन में श्री चौहान ने बताया कि भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया है और कभी अमेरिका से पीएल 480 गेहूँ मँगाने वाला देश आज शरबती गेहूँ और बासमती चावल की खुशबू से दुनिया को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के लिए खाद्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए दलहन, तिलहन, फल, सब्जियाँ और दालों में भी आत्मनिर्भरता जरूरी है तथा आईसीएआर और अन्य संस्थान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच ऐसी किस्में विकसित कर रहे हैं.

मुर्मु ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली 30 मार्च. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. श्रीमती मुर्मु ने सोमवार को अपने संदेश में कहा कि महावीर जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से जैन भाइयों और बहनों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं. भगवान महावीर के पांच सिद्धांत - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह - हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं. इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.

मुख्यमंत्री योगी ने विद्यार्थियों के नाम लिखा पत्र

लखनऊ, 30 मार्च. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए शैक्षणिक सत्र के अवसर पर प्रदेश के विद्यार्थियों और अभिभावकों के नाम एक प्रेरणादायक पत्र जारी किया है. योगी की पाती शीर्षक से जारी इस संदेश में उन्होंने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा, संस्कार और समग्र विकास पर विशेष जोर दिया है.

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नया शैक्षणिक सत्र नई उम्मीदों और अवसरों के साथ शुरू हो रहा है. उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और विद्यालय की अन्य गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को

गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपने संदेश में भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बच्चों को कर्तव्यनिष्ठ और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी. साथ ही स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को जीवन में उतारने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को तकनीक का सही उपयोग करने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलकूद व योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता की कुंजी हैं. अभिभावकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपील की कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ आसपास के उन बच्चों को भी स्कूल तक पहुंचाने का संकल्प लें, जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित हैं.

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में कई बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, ऐसे में समाज को आगे आकर जागरूकता फैलानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 1 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक स्कूल चलो अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है.

मनरेगा योजना को सरकार ने किया नजरअंदाज : खरगे

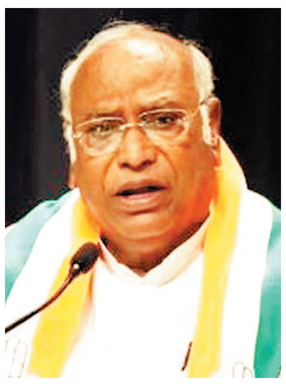

नई दिल्ली, 30 मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनरेगा खत्म करने और नया कानून लागू नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए सोमवार को कहा कि कोरोना काल में मजदूरों को राहत देने में इस योजना की अहम भूमिका रही है लेकिन श्री मोदी ने उसे नजरअंदाज किया है.

श्री खरगे ने कहा एक ओर मनरेगा पर प्रभावी रूप से रोक जैसी स्थिति बना दी गई है, वहीं दूसरी ओर घोषित वीबी-जयराम-जी योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है। कई राज्यों में मनरेगा खत्म करने की खबरें हैं जिसके कारण करोड़ों श्रमिकों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो गया है।

उन्होंने मनरेगा को लेकर कई राज्यों में आंदोलन होने का दावा किया और कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछले 87 दिनों से लगभग 12 हजार मजदूर काम न मिलने के कारण आंदोलन कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से मनरेगा के तहत काम बंद होने की खबरें आ रही हैं, जिससे ग्रामीण मजदूरों के सामने रोज़गार का संकट गहराता जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मनरेगा को कमजोर कर करोड़ों मजदूरों के काम के अधिकार को छीना है श्रमिकों को पर चोट पहुंचाई है।

श्री खरगे ने महाराष्ट्र की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में से 53 प्रतिशत से भी कम कार्य पिछले पांच वर्षों में पूरे हुए हैं, जबकि करीब 2.5 लाख कार्य शुरू ही नहीं हो सके. रसोई गैस की महंगाई और उद्योगों की बदहाली के कारण शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन बढ़ रहा है.

धामी ने डॉ. जितेन को उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया

देहरादून 30 मार्च। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में डॉ जितेन ठाकुर को प्रदेश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया है. श्री धामी ने उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह-2025 में पांच विद्वानों को उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार, आठ साहित्य नारी वंदन सम्मान और विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट साहित्यकारों एवं युवा कलमकार प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। श्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तराखंड राज्य निर्माण में साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने इसे गर्व का विषय बताया कि उन्हें प्रदेश के महान साहित्यकारों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित डॉ. जितेन ठाकुर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे हिंदी साहित्य जगत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सम्मानित साहित्यकारों को बधाई देते हुए कहा कि वे अपनी रचनात्मकता से राज्य की सांस्कृतिक व साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। श्री धामी ने यह भी उल्लेख किया कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह प्रदेश की साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और साहित्यकारों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात : भजनलाल

जयपुर, 30 मार्च। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को एक लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को दो यूनिफार्म के लिए एक-एक हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की

श्री शर्मा ने यहां मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में यह राशि डीबीटी की. इस दौरान श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को चैक भी सौंपे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौनिहालों का पूरा ध्यान रखती हैं और वे इस भावी पीढ़ी की नींव को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्ष में आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण के लिए कई निर्णय लिए हैं.

हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक कम हेल्पर सहित समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है जो एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को सप्ताह में पांच दिन गर्म

दूध दिया जा रहा है तथा आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण-मरम्मत का कार्य भी करवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षकों को स्मार्ट फोन दिए गए हैं।

साथ ही, आगामी समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आंखों की निःशुल्क जांच एवं चश्मा भी उपलब्ध करवाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि गांवों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से ही सशक्त-आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सकता है।

इसी को ध्येय मानते हुए राज्य सरकार द्वारा 19 मार्च से 15 मई तक मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का संचालन किया जा रहा है. इस अभियान के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है.

> राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती (31 मार्च) के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं हमें मानवता की सेवा करने और सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा एवं अपरिग्रह के सिद्धान्त आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि उन्हें भगवान महावीर के आदर्शों पर चलते हुए समृद्ध समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए.

बड़े पदों पर कमजोर वर्ग की हो हिस्सेदारी

नयी दिल्ली, 30 मार्च. कांग्रेस के

पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश के संस्थानों में बहुजन समाज की बड़े पदों पर हिस्सेदारी कम है और उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण से आगे बढ़कर नीतिगत सुधार किए जाने चाहिए। श्री गांधी में सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनसे मिलने जब भी किसी संस्थान या संगठन के लोग आते हैं तो सबकी शिकायत यही रहती है कि उनके संस्थान में वरिष्ठ पदों पर कमजोर वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी नहीं के बराबर है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जनसंसद में ग्रामीण बैंक के एससी-एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान भी यह बात सामने आई कि प्रोन्नति में रोस्टर नियम होने के बावजूद दलित और आदिवासी कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। कभी प्रदर्शन तो कभी मेरिट के नाम पर उनकी तरक्की रोकी जाती है, जबकि आवाज उठाने पर दूरदराज क्षेत्रों में तबादले जैसी कार्रवाई भी की जाती है। श्री गांधी ने कहा कि आरक्षण के चलते इन समुदायों को प्रारंभिक स्तर पर नौकरियां तो मिल जाती हैं.

20 राज्यों में बारिश का अलर्ट

▶ यूपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में मौसम चेतावनी

▶ दिल्ली में यलो अलर्ट, जम्मू-कश्मीर में बारिश और बर्फ

नई दिल्ली/ श्रीनगर/ शिमला, 30 मार्च। देश में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने यूपी और राजस्थान समेत 20 राज्यों में आज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 25 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। दिल्ली में यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अगले दिन हल्की बारिश और तूफानी हवाओं की संभावना जताई है। देश में बेमौसम बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. मौसम विभाग ने यूपी और राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान के 25 जिलों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति और मनाली में ताजा बर्फबारी हुई, वहीं सोलन और शिमला जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना है।

न्यायालयीन उद्घोषणा (धारा 84, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, इंदौर (म.प्र.) के आदेशानुसार यह उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है कि सीबीआई, एससीबी, भोपाल द्वारा पंजीबद्ध आर.सी. क्रमांक फ्ठ222021अ0004 (सीबीआई बनाम स्वीटी एवं आशीष सलूजा) में निम्नलिखित अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 120-बी सहपठित धारा 66(सी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ए) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध है।

अभियुक्तगण :
स्वीटी सुनेरिया, पिता - स्व. रमेश चन्द्र सुनेरिया, पत्नी - आशीष सलूजा
आशीष सलूजा, पिता - स्व. जीवन कुमार सलूजा

उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं हो सके हैं तथा न्यायालय को यह समाधानप्रद रूप से प्रतीत हुआ है कि अभियुक्तगण फरार हैं / गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को छिपाए हुए हैं।

अतः धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत यह उद्घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त अभियुक्तगण दिनांक 24.04.2026 को प्रातः 11:00 बजे न्यायालय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, इंदौर (म.प्र.) के समक्ष उपस्थित होकर आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

आदेशानुसार।

(रूपम वेदी)
विशेष न्यायाधीश
सीबीआई, इंदौर (म.प्र.)

CBC32205/11/0119/2526

GUJRAT BIO INSECTICIDES

J/805, Sector No. 03, Pithampur, Dist. Dhar (M.P.)

In pursuance to the Order No. 2900(E) Dated 24th October, 2015 issued by Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture Govt. of India, **GUJRAT BIO INSECTICIDES**. Hereby notifies that it intends to Introduce 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer like -

(1) N.P.K. (19:19:19) (SAMRAT 19:19:19)
(2) N.P.K. (13:40:13) (SAMRAT 13:40:13)
(3) N.P.K. (20:20:20) (SAMRAT 20:20:20)

We will comply with terms and condition as per the above notification of Govt. of India.

Mobile: 98269-48728, E-mail: gbirk2009@gmail.com

NAME CHANGE NOTICE

I Juzer announced that earlier my name was recorded as **Juzhar** in my old document. I have changed my name to **Juzer Lokhandwala.** Enter my new name on all my documents. In future I will be called **Juzer. Juzer Lokhandwala S/o Yusuf Lokhandwala.**

Ward No. -10 Bohra Masjid ke Samne, Musalmani Gali, Manasa District-Neemuch (MP) Pincode :- 458110

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

एम.पी.एस. यूनिट के आवंटन के लिए ई-नीलामी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक -रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे ने मंडल के दाहोद स्टेशन पर एम.पी.एस. यूनिट के आवंटन के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को **IREPS** वेबसाईट (ई-ऑक्शन) पर प्रकाशित किया गया है। विवरण निम्नानुसार है। **केटलॉग सं.**- MPS-RTM-DIV-26. **अनुबंध का प्रकार** : MPS Units. **लॉट न.** : MPS-RTM-DHD-MPS-4-25-3. **अनुबंध की अवधि** : **05** Years. ई-नीलामी की तिथि और समय लॉट के लिए ई-नीलामी **दिनांक 14.04.2026 को प्रातः 12:00 बजे प्रारंभ होगी।** प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है। **IREPS** के ई-ऑक्शन मॉडयूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है।

SNP-526

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां
नवभारत के माध्यम से

GREEN GUJRAT NATURAL FERTILIZER

Neelu Ware House and Tol Kanta, Namli, Dist. Ratlam (M.P.)

In pursuance to the Order No. 2900(E) Dated 24th October, 2015 issued by Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture Govt. of India, **Green Gujrat Natural Fertilizer.** Hereby notifies that it intends to Introduce 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer like -

(1) N.P.K. (19:19:19) (FERTISOL 19:19:19)
(2) N.P.K. (13:40:13) (FERTISOL 13:40:13)
(3) N.P.K. (20:20:20) (FERTISOL 20:20:20)

We will comply with terms and condition as per the above notification of Govt. of India.

Mobile: 90090 79786, E-mail: greengujratnaturalfertlizer@gmail.com

कार्या. खण्ड चिकित्सा अधिकारी कन्नौद जिला देवास म.प्र.

क्र/892/2026 दिनांक 30/03/2026

विज्ञप्ति

सिविल अस्पताल कन्नौद जिला देवास म.प्र. में ओ.पी.डी एवं आई.पी.डी की कम्प्युटराईड पर्ची ओ.पी.डी समय में बनाने हेतु स्थानीय एजेंसी से कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। स्थानीय एजेंसी विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 7 दिवस में कोटेशन कार्यालय समय में कार्या. खण्ड चिकित्सा अधिकारी कन्नौद जिला देवास में जमा करा सकते है।

नियम एवं शर्ते अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त / देखी जा सकती है।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी
कन्नौद जिला देवास

NOTIFICATION

In Pursuance to the Order No-SO 2900(E) dated 24-10-2015, and its amendment dated 30- 12-2017 issued by department of Agriculture and Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Govt. of India. **M/s Srikar Biotech Pvt. Ltd.** hereby notifies that it intends to market in the state of MADHYA PRADESH 100% water soluble NPK Mixture fertilizers as per specification given below:

1. NPKB 0:37:37:0.02 (SRI POSHAK) 2. NPKB 10:54:10:0.02 (SRI TWIN POSHAK) 3. NPKB 5:15:45:0.02 (SRI POSHAK SHAKTI) 4. NPKB 13:40:13:0.02 (SRI POSHAK RANI) 5. NPKMgB 15:05:30:2:0.02 (GAMA) 6. N:16 P:0 K:9 S:19 (HILY) 7. NPK 14:08:34+4C+TE (LILY) In above water-soluble Fertilizers, the detailed specification is **1. NPKB 0:37:37:0.02** (Moisture-0.5% max, Total Nitrogen-0.00% min, Water soluble P2O5-37.00% min, Water soluble K20-37.00% min, Boron-0.02% min, Insoluble matter-.5% max) **2. NPKB 10:54:10:0.02** (Total Nitrogen-10.0% min, Water soluble P2O5-54.0% min, Water soluble K20 -10.0% min, Boron-0.02 %min, Insoluble matter -0.5% max, Moisture-0.5% max) **3. NPKB 5:15:45:0.02** (Total Nitrogen-5.0% min, Water soluble P2O5-15.0% min, Water soluble K20 -45.0% min, Boron-0.02 %min, Insoluble matter -0.5% max, Moisture-0.5% max) **4. NPKB 13:40:13:0.02** (Total Nitrogen -13% min, Water soluble P2O5-40% min, Water soluble K20 -13% min, Boron-0.02 %min, Insoluble matter -0.5% max, Moisture- 0.5% max) **5. NPKMgB 15:05:30:2:0.02** (Total Nitrogen-15% min, Water soluble P2O5- 5% min, Water soluble K20 - 9% min, Magnesium-2% min, Boron-0.02 %min, Insoluble matter -0.5% max, Moisture-0.5% max) **6. N: 16 P:0 K: 9 S:19** (Total Nitrogen-16% min, Water soluble P2O5-0%, Water soluble K2O - 9% min, Sulphur-19% min, Insoluble matter- 0.5% max, Moisture-0.5% max) **7. NPK 14:08:34+4C+TE** (Total Nitrogen -14.0% min, Water soluble P2O5-8.0%min, Water soluble K20 - 34.0%min, Insoluble matter-0.5% max, Moisture-0.5% max). We assure that all procedures as laid out in the notification shall be followed and adhered to: Thanking You. Yours Truly,

For Srikar Biotech pvt. Ltd. Authorized Signatory

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	37683251	संपत्ति के बदले ऋण	28.02.2026	2,38,967.80/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. देवी सिंह 2. कुसुम बाई

संपत्ति का पताः मकान संख्या 230, क्षेत्रफल 1825 वर्ग फुट (169.60 वर्ग मीटर), जो पीएच नं. 60, सर्वे नंबर 586, गांव जीवाजी गढ़, तहसील टोंकाहुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः स्वयं की गली और अंबरम का घर, पश्चिमः अंबरम का प्लॉट और स्वयं की गली, उत्तरः अंबरम का घर, दक्षिणः बाबू गिरे का घर

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	117723687	संपत्ति के बदले ऋण	07.03.2026	6,93,779.66/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. रे सिंह चौहान 2. डाला रे सिंह 3. नरेंद्र चौहान

संपत्ति का पताः दौलतपुर गांव, फोन नंबर 64, सर्वे नंबर 423, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित मकान संख्या 01 का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका कुल क्षेत्रफल 1584 वर्ग फुट है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में जीवन सिंह का मकान, पश्चिम में प्रहलाद सिंह का मकान, उत्तर में दिलीप सिंह का मकान, दक्षिण में स्थानीय सड़क।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	41700896	संपत्ति के बदले ऋण	28.02.2026	1,43,013.02/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. शांतिलाल जाधव 2. सीमा बाई जाधव

संपत्ति का पताः मध्य प्रदेश-455118 के देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के सोनकच्छ जिले के सर्वेक्षण संख्या 953/1, सर्वेक्षण संख्या 34, पीएच नं. 34 पर स्थित 600 वर्ग फुट (55.76 वर्ग मीटर) के भूखंड का वह पूरा हिस्सा, जिसकी सीमाएँ ग्राम पंचायत भुटिया खुर्द के सरकारी पट्टा संख्या दिनांक 18-01-2018 के अनुसार इस प्रकार हैं: पूर्वः उमराव सिंह के पुत्र तेज सिंह का घर, पश्चिमः स्थानीय सड़क, उत्तरः स्थानीय सड़क, दक्षिणः सूरजमल का घर।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 31.03.2026
स्थानः मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

ROHA HOUSING FINANCE — GROW WITH YOUR OWN HOME

कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट संख्या 1117 और 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301।

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत उधारकर्ता को सूचना।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (आरएचएफपीएल) से ऋण लेने वाले निम्नलिखित उधारकर्ता आरएचएफपीएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वगीकृत किया गया है। उधारकर्ता(कों) ने आरएचएफपीएल को अचल संपत्ति/संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकर्ता/कों द्वारा आरएचएफपीएल को आज तक बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। उधारकर्ता(कों) के साथ-साथ आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि आरएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के सामने इंगित बकाया राशि चुकाने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सुरक्षित लेनदार को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों से लेन-देन न करें।

स. क्र.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/ऋण खाता संख्या/शाखा का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति(यों) (अचल संपत्ति/संपत्तियों) का विवरण
1	LAN: HLKHGNSCPR000005005370, शाखाः खरगोन 1. राकेश एलोन, 2. रितेश एलोन, 3. सुनीता छठिये, 4. मनीषा एलोन दोनों पता 1: 27 तुलसीराम नगर, मूसाखेड़ी इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001, भारत। पता 2: ग्राम लेंडीपुरा, सर्वे नंबर 194/1, प्लॉट नं.52,, सार्थक नगर, तहसील कसरावद, खरगोन, म.प्र.-451228, भारत।	16.03.2026 और रू. 837991/- 13.03.2026 तक	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा, जिसका पता निम्नलिखित हैः ग्राम लेंडीपुरा, सर्वे संख्या 194/1, प्लॉट संख्या 52, सार्थक नगर, तहसील कासरावद, खरगोन, मध्य प्रदेश- 451228, भारत।

दिनांक - 31.03.2026,
स्थान - इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी,
रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)" को उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय होगा। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीएचएफएल को क्रमशः निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(ऋण खाता संख्या LNHEMND000079172 (पुराना) 504000000586126 (नया) LNHLMND000063017 (पुराना) 503000000892007 (नया) LNHLMND000064589 (पुराना) 5030000892402 (नया) (मंदसौर शाखा) श्रीमती उषा कुँवर परिहार (उधारकर्ता), श्री सज्जन सिंह परिहार, श्री नूतन सिंह परिहार, श्री उषा कुँवर परिहार (सह-उधारकर्ता),	20.03.2026 रु. 81,22,428/- (07.03.2026 तक)	मकान संख्या 11, क्षेत्रफल (वर्तमान माप के अनुसार 0.023 हेक्टेयर (230 वर्ग मीटर), पी.एच. संख्या 11, आर.एन.एम. 1, वार्ड संख्या 2 (दिशानिदेशों के अनुसार - वार्ड संख्या 14), संजीत नाका रोड, श्री रामटेकरी, ग्राम कित्यानी (हाजी कॉलोनी), आर.एन.एम., विकास खंड, तहसील और जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश 458001 में स्थित वह संपत्ति, जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः अन्य की भूमि, पश्चिमः सड़क, उत्तरः अन्य की भूमि, दक्षिणः सड़क

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकताओं को अधिनियम के तहत सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अभिनेता नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 31.03.2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी),
केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए